राजस्थान सरकार
चिकित्सा शिक्षा (ग्रुप–1) विभाग

क्रमांक : प. 1(138)एम.ई. / ग्रुप–1 / 14 जयपुर, दिनांकः 15 MAY 2019

आदेश

इस विभाग के आदेश क्रमांक प. 1(121)एम.ई / ग्रुप–1 / 91 पार्ट दिनांक 07.07.14 के द्वारा डॉ. अंकुर शर्मा, (मेरिट क्रमांक एम–10 / सामान्य, जन्मतिथि 24.08.82) की नियुक्ति अस्थाई रूप से दो वर्ष के परीवीक्षा काल पर सहायक आचार्य, निश्चेतन के पद पर मेड़िकल कॉलेज, अजमेर में की गई थी। डॉ. शर्मा को कार्यग्रहण करने हेतु चार सप्ताह का समय दिया गया था। डॉ. शर्मा ने उक्त निर्धारित समयावधि में कार्यग्रहण नही किया। निर्धारित समयावधि के बाद डॉ. शर्मा ने नियुक्ति आदेश प्राप्त नही होने का लेख करते हुए कार्यग्रहण करने हेतु अभ्यावेदन प्रस्तुत किया। कार्मिक विभाग द्वारा कार्यग्रहण के नियमों में शिथिलन दिये जाने का प्रावधान नहीं होने के कारण डॉ. शर्मा को लंबी अवधि उपरांत कार्यग्रहण नही कराया गया। जिस कारण डॉ. शर्मा ने अधिवक्ता के माध्यम से विधिक नोटिस दिनांक 29.06.15 प्रस्तुत किया गया। डॉ. शर्मा द्वारा प्रेषित विधिक नोटिस के प्रकरण को राज्य वादकरण नीति 2011 के द्वारा गठित स्थायी समिति के समक्ष रखा गया। स्थायी समिति द्वारा लिये गये निर्णय की पालना में विभाग के आदेश प. 1(121)एम.ई. / ग्रुप–1 / 91पार्ट दिनांक 14.03.16 के द्वारा डॉ. शर्मा को आदेश दिनांक 07.07.14 के द्वारा सहायक आचार्य, निश्चेतन के पद पर दी गई नियुक्ति के तहत मेड़िकल कॉलेज अजमेर में कार्यग्रहण की अनुमति दी जाकर कार्यग्रहण करने हेतु 10 दिवस की समयावधि दी गई। उक्त आदेश की पालना में डॉ. शर्मा ने दिनांक 21.03.16 को कार्यग्रहण किया। डॉ. शर्मा कार्यग्रहण करने के पश्चात् परिवीक्षा काल में दिनांक 03.05.16 से स्वैच्छा से अनुपस्थित चल रहे है।

अतः डॉ. अंकुर शर्मा, सहायक आचार्य, निश्चेतन , मेड़िकल कॉलेज, अजमेर के परिवीक्षा काल में बिना अनुमति के दिनांक 03.05.16 से स्वैच्छा से अपने पदस्थापित स्थान से लगातार अनुपस्थित रहने के फलस्वरूप परिवीक्षा काल में इनकी सेवाएं असन्तोष जनक मानते हुए राजस्थान चिकित्सा सेवा (कॉलेज शाखा) नियम 1962 के नियम 27 के उप नियम (1) के प्रावधान के अनुसार डॉ. शर्मा की सहायक आचार्य, निश्चेतन पद की सेवा एतदद्वारा तुरन्त प्रभाव से समाप्त की जाती है।

आज्ञा से,

(मोहन लाल वर्मा)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदय, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग।
3. प्रधानाचार्य एवं नियत्रंक, मेडिकल कॉलेज, अजमेर को उनके पत्रांक 13108 / संस्थापन–1 / एमसीए / 2019 दिनांक 28.03.19के संदर्भ में।
4. डॉ. अंकुर शर्मा पुत्र श्री बृजपाल शर्मा, सुभाष ज्ञान मंदिर स्कूल के पीछे, मौरी मोहल्ला गंगा मंदिर चौदह महादेव की गली, भरतपुर (राज.)–321001 (रजिस्टर्ड डाक से)।
5. एसीपी, चिकित्सा शिक्षा विभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
6. रक्षित पत्रावली

(जी.आर. रावल)
शासन सहायक सचिव